"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से भिलाई, दिनांक 30-05-2001"

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 629] रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2014 — अग्रहायण 24, शक 1936

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 (अग्रहायण 24, 1936)

क्रमांक- 12128/वि. स./विधान/2014. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 17 सन् 2014) जो सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता. /-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 17 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2014

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 2 के खण्ड (तेरह) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(तेरह-क) "एक चक्रानुक्रम" से अभिप्रेत है निरंतर दो आम चुनाव, किन्तु जब कभी भी परिसीमन, नवीनतम जनगणना या अन्यथा के आधार पर किया जाता है, तो ऐसे परिसीमन के प्रकाशन के बाद आयोजित चुनाव को प्रथम चुनाव के रूप में माना जायेगा."

निरसन. 3. छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्र. 1 सन् 2014) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

यतः 2011 के जनगणना के आधार पर राज्य में ग्राम पंचायतों के परिसीमन के पश्चात्, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत निरंतर दो आम चुनाव की अवधि एवं चक्रानुक्रम से संबंधित प्रावधानों को लागू करने में विधिक एवं व्यवहारिक कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं.

अतएव उक्त कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजन के लिये, राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) के प्रावधान में संशोधन करने का विनिश्चय किया है.

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 29 नवम्बर, 2014

अजय चंद्राकर
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

छत्तीसगढ़ पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2014 को प्रख्यापित करने की आवश्यकता

प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायतों का आम चुनाव दिसम्बर 2014, जनवरी 2015 में होना संभावित है. नवीन जनगणना 2011 के अनुसार ग्राम पंचायतों का परिसीमन, वार्डों का विभाजन, सरपंच/उपसरपंच का निर्वाचन, खण्ड का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन. जिले का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा प्रदेश में अतिरिक्त 09 नवीन जिला पंचायतों की स्थापना होने के फलस्वरूप सीमाओं में परिवर्तन के साथ ही साथ आरक्षण आदि कार्यवाहियां विद्यमान स्थिति में विभिन्न धाराओं के तहत् क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होने संबंधी प्रावधान को लागू करने में विधिक कठिनाईयां उत्पन्न होने के फलस्वरूप संशोधन की आवश्यकता थी.

विभिन्न निर्वाचन कार्य यथा निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण, पदों का आरक्षण नवीन जनगणना के आधार पर कराया जाना विधिक आवश्यकता है. चूंकि, विधानसभा का शीतकालीन सत्र माह नवम्बर-दिसंबर 2014 में होने की संभावना थी, अत: विधानसभा में संशोधन विधेयक लाये जाने से अत्याधिक विलंब होता तथा उपरोक्त कार्यवाहियां संपन्न नहीं हो पाती, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव निर्धारित अवधि में संपन्न नहीं हो पाता.

अत: उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 को प्रख्यापित किया गया.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 2 की उपधारा (तेरह) का सुसंगत उद्धरण

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 2 की उपधारा (तेरह) - **"पदाधिकारी"** से अभिप्रेत है यथास्थिति किसी ग्राम पंचायत का कोई पंच, सरपंच या उपसरपंच, किसी जनपद पंचायत का कोई सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी जिला पंचायत का कोई सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.